plants are operating? Is it possible to stop the import of scrap if we produce more sponge iron?

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, the all round increase of 8 per cent duty in this Budget and the prices of imported scrap having gone up, are going to benefit the sponge iron industry. With the increase in import duty the price of sponge iron products has increased. In fact, it is going to benefit the sponge iron industry.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Sir, this is a power itensive industry. My specific question is: In view of the very poor power scenario, throughout the country is there any scheme before the Ministry of Steel to give subsidy to those units which are prepared to put up captive power plants. The sponge iron units are prepared to put up captive power units. Would they get any subsidy or any support from the Government?

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, as I said earlier, we are in touch with the Power Ministry and with the State Governments. Since the Steel Minisitry has always been a facilitator, we are negotiating with the State Governments and with the Power Ministry for the benefit of the sponge iron industry.

MR. **CHAIRMAN:** Question No. 162.

SHRI RAM NAIK: Sir, the hon. Labour Minister has gone to Geneva to attend a meeting of the International Labour Organisation. This question was to be replied to by the Power Minister, Shri R. Kumaramangalam. He is held up in Lok Sabha. So I am venturing to reply on behalf of both of them.

**दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बन्द किया जाना**

*162. **श्री जनेश्वर मिश्र:**†
**श्री रामचन्द्रन पिल्लै:**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में 168 उद्योगों को हानिकारक तथा प्रदूषण फैलाने वाले एकक मानते हुए उन्हें बन्द करने का आदेश दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय ने इन उद्योगों के नियमित तथा नैमित्तिक कर्मकारों के लिए कुछ राहत तथा मुआवजे के आदेश दिए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कर्मकारों को मुआवजा नहीं दिया गया है;

(घ) क्या सरकार इन कर्मकारों को मुआवजा दिलवाने के लिए कोई समेकित एजेंसी बनायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक):**

**विवरण**

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने जुलाई, 1996 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 168 बड़े/मध्यम/जोखिमकारी/हानिकारक उद्योगों को इस आधार पर बंद किए जाने के निदेश दिए कि दिल्ली के मास्टर प्लान के उपबंधों के अनुसार, इन इकाईयों को यहां से संचालित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था कि ये उद्योग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वयं पुनः स्थापित हो सकते हैं और पुनर्स्थापना के लिये सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

कामगारों के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित निदेश दिए:

(क) कामगारों को उस कस्बे अथवा स्थान पर रोजगार में नियमित माना जाएगा। जहां उस उद्योग को स्थापित किया जाएगा। उन्हें होने वाली हानि से बचाने के लिए उनके रोजगार की शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

†सभा में यह प्रश्न श्री जनेश्वर मिश्र द्वारा पूछा गया।

(ख) दिल्ली में उद्योग को बंद किए जाने और इसको पुनः आवंटित स्थान पर प्रारम्भ किए जाने के बीच की अवधि को सक्रिय रोजगार के रूप में माना जाएगा तथा कामगारों को सेवा की निरंतरता के साथ उनकी पूरी मजदूरी की अदायगी की जाएगी।

(ग) उद्योग के साथ जाने के लिए तैयार सभी कामगारों को नए स्थान पर अपनी व्यवस्था करने के लिए "स्थान परिवर्तन बोनस" के रूप में एक वर्ष की मजदूरी अदा की जाएगी।

(घ) ऐसे उद्योगों, जो पुनःस्थापित हो पाने में असफल रहते हैं, में नियोजित कामगार और जो कामगार पुनःस्थापित उद्योगों के साथ जाने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें 30 नवम्बर, 1996 से छंटनी किए गए कामगारों के रूप में माना जाएगा। बशर्ते कि वे उक्त तारीख से संबंधित उद्योगों में कम से कम एक वर्ष तक नियमित सेवा में (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-(ख) में यथापरिभाषित) रहे हों। उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 च(ख) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार क्षतिपूर्ति का भी भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, इन कामगारों को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में एक वर्ष की मजदूरी की भी अदायगी की जाएगी।

(ङ) इस निर्णय के अनुसार प्रबंधन द्वारा कामगारों को संदेय "स्थान परिवर्तन बोनस" और क्षतिपूर्ति की अदायगी 31 दिसम्बर, 1996 से पहले की जाएगी।

(च) किसी कामगार को संदेय ग्रेच्युटी राशि की अदायगी अलग से की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उस समय अधिकांश औद्योगिक इकाइयां पुनःस्थापित किए जाने की ओर कोई रुचि नहीं दिखा रही थीं और वे केवल भूमि को बेचने तथा उससे प्राप्त होने वाले धन का पुनःस्थापना के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने की इच्छुक थीं। कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए, तत्कालीन माननीय गृह मंत्री द्वारा उप राज्यपाल, मुख्य मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले पर अनेक बार चर्चा की गई थी और परिणामस्वरूप 29 नवम्बर, 1996 को भारत सरकार तथा अन्यों द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जहां तक कामगारों को क्षतिपूर्ति की अदायगी किए जाने का संबंध है, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात 4 दिसम्बर, 1996 को अपने पिछले आदेश में संशोधन कर दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि जो उद्योग पुनःस्थापित नहीं हो रहे थे और बन्द हो रहे थे उनके कामगारों को एक वर्ष के "स्थान परिवर्तन बोनस" की बजाय 6 वर्ष की मजदूरी की अदायगी करनी होगी। तथापि, जिन कामगारों ने पुनःस्थापना के नए स्थलों पर जाने से इंकार कर दिया था वे अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में केवल एक वर्ष की मजदूरी के हकदार होंगे जैसा कि न्यायालय ने पहले निदेश दिए हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इकाइयां बन्दी का विकल्प देती हैं तो उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में कामगारों को 6 वर्ष की मजदूरी अदा करनी थी और यदि वे पुनःस्थापना चाहती हैं तो उन्हें नियमित मासिक मजदूरी के अलावा केवल एक वर्ष का "स्थान परिवर्तन बोनस" अदा करना था।

168 उद्योगों के प्रमुख नियोजक थे (1) बिड़ला टैक्सटाइल्स मिल्स (2) श्रीराम फूड एन्ड फर्टिलाइजर्स और (3) स्वतंत्र भारत मिल।

बिड़ला टैक्सटाइल मिल में बंदी के समय 2407 कामगार नियोजित थे। इस मिल के कामगारों ने यह प्रार्थना करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में भी अनेक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं कि चूंकि मिल को हटाकर हिमाचल प्रदेश राज्य में ले जाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर है इसलिए मिल को एक बंद इकाई मानते हुए उन्हें भी 6 वर्षों की मजदूरी दर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह मामला अब माननीय न्यायालय के समक्ष 20 जुलाई, 1998 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इसी बीच शीर्ष न्यायालय ने अपने दिनांक 20.4.98 के आदेश द्वारा मिलों के प्रबंधन को उन कर्मकारों के तीन माह के वेतन के बराबर "खाते में संदेय" भुगतान करने के लिए भी कहा है जिनके प्रबंधन द्वारा भेजे गये मुआवजा चैक प्राप्त/नकदीकरण नहीं हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार इस भुगतान की देखरेख के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों का एक दल तैनात किया गया था।

श्रीराम फूड एन्ड फर्टिलाइजर्स इन्डस्ट्रीज में बन्दी के समय अर्थात 30.11.1996 को 655 कामगार नियोजित थे। जिनमें से 37 कामगारों को उनका पूरा बकाया और अन्तिम भुगतान मिल गया था। जब कि यह उद्योग पंजाब में राजपुरा में एक अन्य उद्योग स्थापित करने के प्रक्रिया में है जहां 219 कामगारों ने अपना शिफ्टिंग बोनस प्राप्त करने के पश्चात ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया। बकाया कामगारों को दिल्ली में नियमित आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

स्वतंत्र भारत मिल में बंदी के समय अर्थात् 30.11.1996 को 2162 कामगार नियोजित थे। मिल के कामगारों ने यह प्रार्थना करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनेक आवेदन पत्र दायर किए हैं कि चूंकि मिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हटाकर अलग ले जायी जा रही है, अतः इसे बंद इकाई के रूप में माना जाए और कामगारों को 6 वर्षों की मजदूरी दर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। पिछले अन्तरिम आवेदन पत्र को माननीय उच्चतम न्यायालय ने 16.3.98 को अस्वीकृत कर दिया था। अब यह सूचना है कि पर्याप्त संख्या में ऐसे कामगार जिन्होंने शिफ्ट करने के लिए अपना विकल्प दिया था उन्हें अब पुनःस्थापित स्थल (रिलोकेटेड साइड) पर शिफ्ट कर दिया गया है। यह भी सूचना है कि उन्हें उनके शिफ्टिंग बोनस का भी भुगतान कर दिया गया है।

**श्री जनेश्वर मिश्रः** सभापति जी, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसमें खुद स्वीकार किया है कि इन उद्योगों के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, उसमें से ज्यादातर नियोजकों को उद्योग लगाने में कोई रुचि नहीं थी और वे उस जमीन को बेचकर वह पैसा किसी दूसरे उद्योग में लगाने के लिए उत्सुक थे। इसके लिए माननीय गृह मंत्री और दूसरे अधिकारियों ने तथा दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बैठकर एक राय कायम की और फिर अदालत में जाकर मामला पेश किया कि इसकी सुनवाई की जाए।

सभापति महोदय, हम समझते है कि सरकार एक ऐक्जीक्यूटिव संस्था है। फिर कौन सी ऐसी अड़चन आ गई थी कि सरकार उन उद्योगों के खिलाफ खुद कार्यवाही न करके अदालत की तरफ गई? अदालत में जब कभी मामला जाता है तो एक लंबे समय तक वह लंबित रहता है। अदालत यदि फैसला भी कर दे तो उस पर चुनौतियां हुआ करती हैं। अदालत की प्रक्रिया के बारे में हम सब लोगों को जानकारी है। इसलिए एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दिक्कत पड़ गई थी कि अपने आप उस देश की कार्यपालिका ने कोई निर्णय न लेकर अदालत की शरण लेना मंजूर किया?

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि इस पूरे जवाब में केवल 3 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। पहली कंपनी है बिड़ला टेक्सटाइल्स मिल्स, दूसरी कंपनी है श्रीराम फूड ऐंड फर्टिलाईजर्स और तीसरी कंपनी है स्वतंत्र भारत मिल। सभापति जी, 168 कम्पनियों के बारे में सवाल पूछा गया है। इन तीन कम्पनियों के बारे में जो जवाब दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर यह कम्पनियां अपना उद्योग लगाने के प्रयास कर रही हैं। मजदूर एक गरीब हैसियत का आदमी होता है, उसकी जरूरतें और साधन बहुत सीमित होते हैं। एक जगह से पचास, सौ, तीन सौ किलोमीटर दूर जाकर मजदूर अपनी उन सुविधाओं को हासिल करेगा इस पर सदन में बहस होनी चाहिए। केवल तीन को ही क्यों घटाया गया। 168 कम्पनियों में से तीन को छोड़कर सब उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं या नहीं और कितनी नहीं कर चुकी हैं और कितनी कर चुकी हैं और उनके मजदूरों के भाग्य के फैसले के बारे में सरकार कहां तक चिंतित है और क्या कर रही है? यह मैं जानना चाहूंगा।

**श्री राम नाईकः** सभापति महोदय, यह बात सही है कि एन्वॉयरमेंट के विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 1996 में आया। इसलिए अब पुराने समय पर सरकार ने क्यों नहीं किया यह बताना कोई आज विशेष औचित्य की बात नहीं रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला 168 इण्डस्ट्रीज के बारे में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अनुरूप यह विषय मुख्यतः दिल्ली सरकार के अधीन लेबर विभाग में आता है। यह बात सही है कि इसमें तीन कम्पनियों की जानकारी दी है क्योंकि वह बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं जहां मोटे तौर पर ज्यादा कर्मचारी हैं। मैं सदन की जानकारी की लिए यह भी बता दूं कि कुल मिलाकर 168 इण्डस्ट्रीज में सामान्यतः 10 हजार कर्मचारी काम करते थे। अब मेरे पास कुल मिलाकर 13 इण्डस्ट्रीज की जानकारी है जिनके कर्मचारियों की संख्या सात हजार सात सौ सत्ताईस है अर्थात लगभग आठ हजार। तो दो हजार कर्मचारी छोटे-छोटे उद्योगों में थे। यह मैं आपको बता सकता हूं। अगर सदन का समय बचाना है तो मैं इस स्टेटमेंट को सदन के पटल पर भी रखने के लिए तैयार हूं।

**श्री वसीम अहमदः** डिटेल्स में बताइए।

**श्री राम नाईकः** हां-हां मैं बता देता हूं। जो स्वतंत्र भारत मिल है। दोबारा केस जाने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यह इण्डस्ट्रीज दिल्ली राज्य के अधीन जो क्षेत्र है उसमें ही रहेगी। कुछ कर्मचारी दिल्ली के बाहर भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद यह जजमेंट दिया कि यदि कोई कम्पनी राज्य के बाहर जाती है तो कर्मचारियों को वही अधिकार मिलेंगे जो दिल्ली में रहने पर मिलते थे। तो उस बात को लेकर जो फैसले हुए उसमें जो स्वतंत्र भारत मिल है उसके बारे में बतलाता हूं। मेरी हिन्दी फिगर के बारे में अच्छी प्रेक्टिस नहीं है।

So, I am reading out the statement in English. 1. Sawatantra Bharat Mills has 2,162 workers and they have gone to Tonk, Rajasthan. 2. Birla Textile Mills has 2,407 workers and they have gone to Baddi, Himachal Pradesh. 3. Nova Steel has 160 workers and they have gone to Bilaspur, Madhya Pradesh. 4. K.L. Rathi Steel Mills has 165 workers and they have gone to Ghaziabad, Uttar Pradesh. 5. G.D. Rathi Steel Mills has 99 workers and they have gone to Madhya Pradesh. 6. Sriram Foods and Fertilisers has 655 workers and they have gone to Rajpura, Punjab. 7. D.C.M. Silk Mills has 108 workers and they have gone to Alwar, Rajasthan. 8. The Hindustan Insecticides Limited has 564 workers but the company has not yet decided about it. 9. Hindustan General Industries has 446 workers and they have gone to Gurgaon and Nimrana, Haryana. 10. Sawhney Rubber Industries with 577 workers has not yet decided....*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the Minister can lay it on the Table of the House.

SHRI RAM NAIK: That is what I said. Some Members wanted it to be read out. So, it is left to the Chairman. Anyway, the names of only three companies are left to be read out. I shall complete it.

BOC Gases Limited has 74 workers and the company has closed down. Uma Shanker Khandelwal and Company with 50 workers have started the factory there itself with non-hazardous goods. So, they will be there only. In Hindustan Vegetable Oil Corporation, there are 260 workers. They have closed down. So this is roughly the information about 7727 workers. But agian, with all details I will lay it on the Table of the House. Any Member can have the benefit of referring to it.

SHRI S. S. SURJEWALA: Sir, this is contradictory. He has given in the written reply that Birla Industries has gone to Himachal Pradesh whereas he says it has gone to Haryana. Mr. Chairman, it is a contradiction.

**श्री जनेश्वर मिश्र:** आपने हिमाचल को हरियाणा पढ़ दिया है, उसको करेक्ट कर दीजिए।

**श्री राम नाईक:** यह मैं मान लेता हूं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के कारण यह भूल हुई है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति:** मान लिया, उन्होंने मान लिया है।

**श्री जनेश्वर मिश्र:** सभापति जी, मैंने अपने पहले प्रश्न में यह जानना चाहा था सरकार से कि कितनी कंपनियां हैं जो अभी तक उद्योग स्थापित करने की मंशा जाहिर नहीं कर रही हैं? इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि कुछ मज़दूर रेगुलर होते हैं। कुछ कैजुअल होते हैं। रेगुलर मजदूरों की तो सूची इनको मिल गई है। सभी कारखाने कैजुअल मज़दूरों को भी रखते हैं और बहुत बड़ी तादाद में रखते हैं, उसकी सूची नहीं है। उनके भाग्य का क्या होगा? उनको काम दिया जाएगा या नहीं? इसके बारे में सरकार की तरफ से और उद्योगपतियों की तरफ से, जबकि हमने जो दिशा-निर्देश पढ़ा है सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें साफ लिखा है कि दोनों तरह के मज़दूरों को शामिल किया जाएगा। उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के मज़दूरों का भुगतान जो कैजुअल भी हैं और स्थाई भी हैं, कितनों को किया गया है? क्योंकि दिल्ली शहर तो एक तरह से उजड़ रहा है और यह मज़दूरों के खिलाफ फैसला गया है। समाज के जो भद्र लोग हैं, उनके पक्ष में यह फैसला गया है लेकिन मज़दूरों के हक की रखवाली करना संसद का काम है क्योंकि यह जनप्रतिनिधियों की संस्था है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि कितने नियमित और कितने अस्थाई मज़दूर इन 168 कारखानों में काम करते थे और उनको नौकरी देने के लिए क्या प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है? और इन उद्योगों पर क्या दबाव डाला गया है?

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, I am told by some Member that this case is *sub judice*. Is it so?

**श्री राम नाईक:** सभापति जी, केस इस प्रकार से सबज्यूडिस है या नहीं, यह आप तय करेंगे।

**श्री सभापति:** मुझे पता नहीं है।

**श्री राम नाईक:** मैं बताता हूं। ऐसा है कि इस जजमेंट के आने के बाद जिनको ऐसा लगता है कि जजमेंट के अनुसार कार्यवाही नहीं हो रही है, ऐसे वर्कर्स हों या कोई कंपनी हो, वे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में

क्लेरिफिकेशन्स के लिए कि मुझ पर अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दीजिए, इस प्रकार से तीन बार गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद तीन ऑर्डर्स दिए। उदाहरण के तौर पर पहले जब यह कहा गया था कि दिल्ली राजधानी...

MR. CHAIRMAN: One hon. Member has written to me that this question is *sub judice*. It could not have been taken up in this House. I would like to know the stand of the Ministry on this.

SHRI RAM NAIK: I would like to make one submission.

**श्री राम नाईक: सभापति जी, यह बात तो हुई है,** कुछ मामले ...(व्यवधान)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No, here I would like to make one submission. Once the question is admitted and entered in the list of business, the question of whether it is *sub judice* or not does not arise because the conditions of admissibility of a question is that if any matter is *sub judice* it cannot be admitted as a question. Therefore, I think it will really be an awkward situation when a question has been entered and reply has been made partly but a full discussion on the question is being ruled out.

MR. CHAIRMAN: I am not ruling out. I want to know because...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Therefore, let us not talk of whether it is *sub judice* or not.

**श्री राम नाईक:** सभापति जी, आपका निर्णय सर्वोपरि है और इसलिए यह प्रश्न ऐडमिट किया है तो हमने उसका उत्तर देना ...(व्यवधान)...

**सदन के नेता श्री सिकन्दर बख्त:** मैं यह कह रहा हूं कि आपने सिर्फ यह जानना चाहा था कि मामला सबज्यूडिस है या नहीं?

[] Transliteration in Arabic Script.

MR. CHAIRMAN: I have not said that it is *sub judice*. I wanted to know...

SHRI SIKANDER BAKHT: So the objection was absolutely frivolous.

**श्री राम नाईक:** सभापति जी, मामले कोर्ट में चल रहे हैं लेकिन जानकारी देने में मुझे नहीं लगता है कि कोई तकलीफ होगी और आपने ऐडमिट किया है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। जो प्रश्न पूछा गया है कि कैजुअल वर्कर्स जो बाकी की छोटी-छोटी फैक्टरीज़ में हैं, उनका क्या होगा? तो इस संबंध में हम इतना ही कह सकते हैं कि यह सारा मामला दिल्ली प्रशासन, दिल्ली गवर्नमेंट हैंडल कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, उसके अनुसार सबको जो पेमेंट करनी है, वह दी जा रही है। जब पेमेंट दी जा रही हो और किसी कैजुअल वर्कर को नहीं मिलती तो मैं कहना चाहता हूं कि वह दिल्ली गवर्नमेंट के पास जा सकता है। इस संबंध में हमें भी जानकारी दी जाए तो हम उसका फैसला कराने में मदद कर सकते हैं।

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has not replied to parts (c), (d) and (e) of the question. According to my information, as per the decision of the Supreme Court about Rs. 50,000 crores are involved. The Minister is giving vague information with regard to three industries. That also covers only Rs. 5,000 crores. My specific question was whether it is a fact that compensation has not been paid to the workers as per the orders of the Supreme Court or not. The Minister has not replied. I have also asked, whether taking into consideration the special background of this case, the Government will appoint an integrated agency for providing compensation to the workers or not. The Minister has not replied to these specific questions.

First, let the Minister reply and then I may be allowed to ask a supplementary.

MR. CHAIRMAN: No Supplementary. There are others also.

**श्री राम नाइक:** सभापति जी, मैंने जो कहा कि मैं स्टेटमेंट ले कर रहा हूं, उसमें 13 इंडस्ट्रीज के बारे में है कि उन्होंने पेमेंट की या नहीं की, इसकी जानकारी है। बाकी की जो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वह पेमेंट कर रही है लेकिन

पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने पेमेंट दी है या नहीं दी है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। दूसरा जो सवाल इसके साथ उन्होंने जोड़कर पूछा है, whether the Government will appoint an integrated agency for providing compensation to these workers. In fact, जो दिल्ली गवर्नमेंट का लेबर कमिश्नर है, उससे यह सब काम करने की अपेक्षा है इसलिए और कोई दूसरी एजेंसी बनाएं, तो फिर डिले हो सकता है। लेबर कमिश्नर का यह काम है कि he must go according to the orders of the Supreme Court and he is doing it accordingly. But if there are any specific cases, they can be brought to the notice of this Government or the Delhi Government and we will try to sort them out.

**श्री ओमप्रकाश कोहली:** आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वह इस 168 उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए किस आधार पर निर्णय किया गया है क्योंकि जो इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि, "The hon. Supreme Court of India in July, 1996 directed closure of 168 large/medium/hazardous/ noxious industries from the NCT of Delhi on grounds that as per the provisions of the master plan of Delhi, these units could not be allowed to continue to operate from here." अगर मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर इस 168 उद्योगों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने किया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मास्टर प्लान में संशोधन करने का सरकार का कोई विचार है और अगर मास्टर प्लान में सरकार का संशोधन करने का विचार है तो इस दिशा में क्या कोई कदम उठाए गए हैं, कोई पहल अब तक की गयी है ताकि इन उद्योगों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने से बचाया जा सके।

**श्री राम नाईक:** सभापति जी, उस स्थान से दूसरी जगह पर दिल्ली के एरिया में ही हटाना चाहिए, इस प्रकार का आदेश था। मास्टर प्लान के अनुसार दूसरी कुछ कम्पनियों में यह मुश्किल हो रहा था कि उन्हें दिल्ली में उद्योग के योग्य जगह मिले। अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे कि जब तक रीलोकेशन नहीं होता है तब तक पेमेंट ऑफ वेजिज करते रहना चाहिए और एक साल अधिक करना चाहिए। इसलिए इसका पालन जब असंभव हो गया तो कुछ फैक्ट्रीज़ ने दिल्ली के बाहर उद्योग को ले जाने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ही गई। उसमें यह कहा गया था कि जो कम्पनीज आगे चलायेंगे ही नहीं, उनको छह साल की तनख्वाह, छह साल का कम्पनसेशन देने की व्यवस्था थी। यदि वे उद्योग दिल्ली से बाहर जायेंगे तो दिल्ली सरकार कैसे उसमें दखल देगी तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा आर्डर निकाला और उसमें यह कहा गया... **(व्यवधान)**...

**श्री जनेश्वर मिश्र:** सभापति जी, कोहली जी ने यह पूछा है कि मास्टर प्लान को लेकर के जो एतराज किया है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सरकार उसमें संशोधन करेगी ताकि उसके अनुरूप ये कम्पनियां चल सकें और ये दूसरा जवाब दे रहे हैं।

**श्री ओमप्रकाश कोहली:** सभापति जी, मैं यह पूछना...

**श्री सभापति:** पहले प्रश्न का जवाब तो दे देने दीजिए।

**श्री राम नाईक:** सभापति जी, जो सवाल है उसके दो भाग हैं और उनका मैं जवाब दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्डर दिए कि जो उद्योग दिल्ली के बाहर अन्य प्रदेशों में भी जायेंगे तो उनको भी छह साल का कम्पनसेशन देना पड़ेगा। इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किए और इसके अनुसार वे शिफ्ट हुए हैं। अब सवाल यह बचता है क्या इस प्रकार के प्लान को चेंज करने का प्रयास है या नहीं है। यह नीतिगत सवाल है और मुझे लगता है कि यह अरबन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधीन आयेगा। मैं तुरन्त इस समय इसका जवाब देने में समर्थ नहीं हूं।

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, the hon. Supreme Court has passed an order for closing down of certain textile mills and leather factories in Tamil Nadu as these industries create pollution. As a result of that order, all these industries have been closed down and the labourers of these industries are suffering as they don't have any income now.

MR. CHAIRMAN: This supplementary does not arise out of this question.

SHRI V.P. DURAISAMY: No, Sir. It has certain relevance....

MR. CHAIRMAN: You cannot extend it. This question is about closure of polluting industries in Delhi as a result of Supreme Court order.

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, I want to know whether the Government will give finance...

MR. CHAIRMAN: It does not come out of the main question. You put a separate question for that. Q.No. 163, Shri Brahmakumar Bhatt.

**Action againt Export defaulters**

*163. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to take action against the export defaulters for not fulfilling their export obligations;

(b) whether it is also a fact that the defaulters have demanded a one time extension in this regard;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the details of loss to the exchequer?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

Action against wilful export defaulters is taken regularly as per procedures prescribed in the Exim Policy. However, non-fulfilment of export obligation within the stipulated period can also be due to certain factors/circumstances beyond the control of the exporter. Such default cases are considered sympathetically in the interest of country's overall exports by granting extension of time for fulfilment of export obligation. In response to the demand from such genuine exporters the Government has issued Public Notice No. 7 (RE-98), 1997—2002, dated 24.04.1998 in terms of which a one-time extension in export obligation period has been allowed upto 30.09.98 for regularisation of pending advance licences on payment of prescribed composition fee. This facility has been made available only to those licencees who have fulfilled at least 50% of their export obligation. The question of recovery of Customs duty arises only in cases where export obligation is not fulfilled against duty free imports. In the default cases, if exporters do not fulfil their export obligation within the extended time allowed to them, recovery of customs duty alongwith interest thereon shall be enforced against such defaulters, besides imposition of a penalty under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and the rules made thereunder.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, may I know from the hon. Minister about the number of cases of export defaulters? Which circumstances are taken into consideration for extension of time and how much time is given?

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE: Sir, there are two types of cases. One is, the cases of exporters who could not fulfil export obligations because of certain developments either international or national which made it impossible for them to fulfil the obligation. The second one is, what is called wilful default. In regard to wilful default, the Government has taken very strict action by imposing penalty on such exporters.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: If they commit default, then there is the question of recovery of Customs Duties, penalties, etc. May I know in how many cases such recoveries have been made and penalties have been imposed upon them?

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE: Sir, altogether a penalty amounting to nearly Rs. 100 crores was ordered, but the procedure to recover this amount is very cumbersome. The penalty can be